

कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर भीलवाड़ा

क्रमांक :- म.गा. नरेगा / संस्थापन / 2018-19 / 11041


दिनांक 17/5/2018

सूचना

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 11 (18) ग्रावि / नरेगा / पद सृजन / 2010 पार्ट-1 / 00544 दिनांक 02.5.2018 की अनुपालना में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 10595 दिनांक 5.03.2018 द्वारा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 16 संविदा पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची व कार्यालय के आदेश क्रमांक 10597 दिनांक 5.03.2018 द्वारा लेखा सहायक के 16 संविदा पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई हैं।

अतः चयनित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 24.05.2018 तक मूल दस्तावेजों सहित सत्यापन हेतु इस कार्यालय में उपस्थित होंगे नियत दिनांक तक उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी का चयन स्वतः निरस्त माना जावे।

सलंगन:- उपरोक्तानुसार आदेश।




(गजेन्द्र सिंह राठौड़)

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद भीलवाड़ा

प्रतिलिपी :

1. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) सूचना प्रधौगिकी एवं संचार विभाग भीलवाड़ा को अपलोड कराने बाबत प्रेषित हैं।



अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद भीलवाड़ा

कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर भीलवाड़ा


क्रमांक :- म.गा.नरेगा/संस्थापन/2017-18/ 10595

दिनांक 5.3.2018

// आदेश //

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनांतर्गत श्रीमान शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्र क्रमांक एफ 11 (8) ग्रावि /नरेगा /पद सृजन /2016 / 93342 दिनांक 25.5.2017 द्वारा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के रिक्त पदों पर सेवाएँ पूर्ण रूप से अस्थाई तौर पर पूर्णतया संविदा पद पर लेने की स्वीकृति प्राप्त हुयी जिसके तहत इस कार्यालय के द्वारा विज्ञप्ति क्रमांक 10492/1.11.2017 से आमंत्रित आवेदन पत्रों में से निर्धारित चयन समिति द्वारा 22 रिक्त पदों पर वरीयता व आरक्षण के आधार पर अस्थायी चयन आदेश क्रमांक 10563/14.2.18 से जारी किया गया था जिसमें श्री पृथ्वी राज सिंह हाडा के मल अंक पृथक होने तथा श्री हनुमान कुम्हार (पीएच) के डिग्री पूर्ण नही होने से उक्त दोनों का चयन आदेश निरस्त करते हुये तथा उक्त आदेश क्रमांक 10563/14.2.18 से चयनित अभ्यर्थियों में से दस्तावेज सत्यापन नही कराने तथा अनुबन्ध की कार्यवाही नही कराने वाले अनुपस्थित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त की जाती है। तथा इनके स्थान पर आरक्षण एवं मैरिट अनुसार निम्न अभ्यर्थियों का वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 27.06.2014 में निर्धारित शर्तों के अधीन निम्नानुसार पात्र अभ्यर्थियों की सेवाएँ संतोष जनक सेवा की शर्त पर दिनांक 28.02.201 / नरेगा योजना लागू रहने, जो भी पहले हों, तक अस्थायी रूप से संविदा पद पर लिये जाने का निर्णय लिया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि वे मूल दस्तावेजों का सत्यापन, संस्थान की मान्यता तथा ग्रेडिंग सिस्टम होने की स्थिति में सीजीपीए को प्रतिशत में परिवर्तन करने का फॉर्मूला का सत्यापन करावे । सत्यापन में मैरिट व आरक्षण अनुसार सही पाये जाने पर 100/- रु.के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 27.06.2014 के निर्धारित प्रारूप में मय 2 चरित्र प्रमाण पत्र 20 रु. का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर ब्लेक लिस्टेड नही होने का प्रमाण पत्र व सी.एम.एच.ओ. से जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में दिनांक 15.3.18 तक कार्यालय जिला परिषद (नरेगा) भीलवाड़ा में उपस्थित होवे-

क्रम	फा.सं.	नाम अभ्यर्थी	श्रेणी	शैक्षणिक योग्यता		पद श्रेणी
				Civil /Agree/ other	Degree/ diploma	
1	1925	रवि सिंह ✓	GEN	Civil	Degree	UR
2	64	शर्मा किशन लाल ✓	Gen	Civil	Degree	UR
3	1439	अर्जुन चौनसरिया ✓	gen	Civil	Degree	UR
4	2918	मोहम्मद रेहान अली ✓	gen	Civil	Degree	UR
5	2295	सुरेन्द्र कुमार पाली	gen	Civil	Degree	UR
6	2733	नीरज कुमार प्रजापत	obc	Civil	Degree	UR
7	2715	नीतु मीणा	ST	Civil	Degree	UR F
8	2030	पूजा चौधरी	OBC	Civil	Degree	UR F



9	2631	शेखर काठात	OBC	Civil	Degree	OBC PH
10	2500	लीलाधर	OBC	Civil	Degree	OBC
11	2685	अशोक कुमार जाट	obc	Civil	Degree	OBC
12	2571	चिन्दरपाल	OBC F	Civil	Degree	OBC F
13	2049	हितेश सांखला	SC	Civil	Degree	SC
14	1931	राधेश्याम चरमाकर	SC	Civil	Degree	SC
15	385	अमित कुमार मीना	ST	Civil	Degree	ST
16	584	शेरसिंह मीणा	ST	Civil	Degree	ST

ग्रामीण विकास विभाग के आदेश के अनुसार कनिष्ठ तकनीकी सहायक को अधिकतम 8000/- रु. एक मुश्त मानदेय, यात्रा भत्ता के रूप में 2000/- एवं ग्रामीण विकास कार्य भत्ता 3000/- रु. कुल 13000/- परिलाभ प्रति माह तथा अन्य परिलाभ अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार देय होगा। कनिष्ठ तकनीकी सहायक को कम से कम 20 दिवस का दौरा स्वयं के वाहन से कार्यों का निरीक्षण करना होगा, तभी उक्त मानदेय कन्टीजेन्सी मद से देय होगा।

जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं जिला कलेक्टर भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर
2. श्रीमान आयुक्त राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर।
3. श्री (रजिस्टर्ड डाक द्वारा)

* जोग्यमर, NIC भीलवाड़ा को भेजकर लेख ई डि उक्त आदेश को www.bhilwara.nic.in पर अपलोड करावे।

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला परिषद भीलवाड़ा